संख्या- 1/2019/1922/53-2-18-26(बजट)/18

प्रेषक,

बिन्द गोपाल द्विवेदी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 21 जनवरी, 2019

विषय- उ0प्र0 में दुग्ध विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय गोवंश की गाय के दूध में वृद्धि करने हेतु कृषकों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु ''नन्द बाबा पुरस्कार'' योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में। (अनुदान संख्या-16)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-738/दुग्ध-4/नियो0/नन्दबाबा पुरस्कार/18-19, दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु लेखाशीर्षक ''2404-डेरी विकास-800-अन्य व्यय-04-नन्द बाबा पुरस्कार-42-अन्य व्यय'' मद हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न प्रपत्र-बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रू0 84.253 लाख (रूपये चौरासी लाख पच्चीस हजार तीन सौ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त धनराशि जिस प्रयोजन हेतु अवमुक्त की जा रही है, उसका उपयोग उसी मद के अन्तर्गत व्यय किया जायेगा। धनराशि का आहरण यथावश्यकता ही किया जायेगा।

(2) स्वीकृति की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-2312/2018, दिनांक 30.03.2018 में जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो सम्बन्धित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को तुरन्त दी जाये।

(3) स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-16 के अधीन लेखाशीर्षक ''2404-डेरी विकास-800-अन्य व्यय-04-नन्द बाबा पुरस्कार-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न प्रपत्र-बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार अनुदान

यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-16 के लेखाशीर्षक "2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनायें-08-डेरी विकास फण्ड की स्थापना-42-अन्य व्यय" मद में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या-1/2019/1922(1)/53-2-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उ0प्र0, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0 लि0, 29 पार्क रोड, लखनऊ
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय परियोजना, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
7- आहरण एवं वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित करें।
9- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।